राजकीय महाविद्यालय, धर्मपुर, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2007 से 03/2012

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या ई0डी0एन0–ए0–के0एच0ए0(16) 10/95–पार्ट 3 लूज दिनांक 18.12.2006 के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर, जिला मण्डी की स्थापना शैक्षणिक सत्र 2007–08 से की गई। महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों का यह प्रथम अंकेक्षण है।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान महाविद्यालय में निम्न विवरणानुसार प्रधानाचार्यों ने आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य कियाः–

क्र0सं0	प्रधानाचार्य का नाम	कार्य की अवधि
1	डा0 एस0के0 कश्यप	17.01.07 से 31.10.08
2	डा0 वी0के0 शर्मा (कार्यकारी)	01.11.08 से 14.11.08
3	डा0 वी0एस0 जसवाल	15.11.08 से 02.08.12

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

महाविद्यालय के अवधि 04/07 से 03/2012 के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण सर्व श्री तारा चन्द महन्त (सहायक नियन्त्रक), राजवीर सिंह (अनुभाग अधिकारी) तथा नरेन्द्र कुमार (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 19.03.13 से 28.03.13 के दौरान धर्मपुर में किया गया। अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित मासों का चयन आय–व्यय की विस्तृत जांच हेतु किया गया।

वर्ष	चयनित माह (आय)	चयनित माह (व्यय)
2007–08	06/2007	12/2007
2008–09	06/2008	03/2009
2009–10	06/2009	02/20110
2010–11	07/2010	03/2011
2011–12	06/2011	06/2011

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रस्तुत/उपलब्ध नहीं करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

महाविद्यालय के अवधि 4/2007 से 3/2012 के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹26000/–बनता है, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	निधियों से प्राप्त आय	संचायिका से प्राप्त आय	कुल प्राप्तियां	अंकेक्षण शुल्क
2007–08	85020	2700	87720	4000
2008–09	143474	2520	145994	4000
2009–10	149818	2680	152498	4000
2010–11	236482	–	236482	7000
2011–12	215322	–	215322	7000
		कुल अंकेक्षण शुल्क		**₹26000**

अंकेक्षण शुल्क की उक्त ₹26000/–को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु महाविद्यालय प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना सं0 206 दिनांक 21.03.13 द्वारा अनुरोध किया गया तथा महाविद्यालय द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 295923 दिनांक 22.03.13 के अन्तर्गत उक्त राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को भेज दी गई।

4 वित्तीय स्थितिः–

महाविद्यालय की अवधि 4/07 से 3/12 की छात्र निधियों की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "A"** पर दिया गया है।

5 जुर्माना निधि के रूप में ₹2799/–की कम वसूली करने बारेः–

परिशिष्ट "B" के अनुसार वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान जुर्माना निधि के रूप से कुल ₹48674/–देय थी, लेकिन उक्त अवधि के दौरान केवल ₹45875/–जर्माना निधि के

रूप में विद्यार्थियों से प्राप्त की गई, जोकि फीस प्राप्ति रजिस्टर व रोकड़ वही पर दर्ज की गई थी। इस प्रकार जुर्माना निधि के रूप में ₹2799/–की कम वसूली की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा कम वसूली गई ₹2799/–की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके उक्त निधि के खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

6 शैक्षणिक सत्र के उपरान्त शेष बचे प्रविवरणों की बिक्री बारेः–

अभिलेख की जांच में पाया कि शैक्षणिक सत्रों के उपरान्त प्रविवरणों की कुछ प्रतियॉ (374 न0) स्टॉक में शेष थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "C"** पर दिया गया है। इन शेष प्रविवरणों को शैक्षणिक सत्र में अपलिखित नहीं किया गया था, जिससे स्पष्ट है कि यह विवरण (Prospects) अप्रचलित नहीं थे, परन्तु महाविद्यालय द्वारा इन शेष बचे प्रविवरणों को अगले सत्र में अग्रेषित नहीं किया गया। अतः उक्त शेष बचे 374 नं0 प्रविवरणों को अगले सत्र में अग्रेषित न करने एवं विक्रय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा 374 नं0 प्रविवरणों के मूल्य की गणना आन्तरिक स्तर पर करके, अपेक्षित राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

7 ₹210/–के अधिक भुगतान बारेः–

राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर द्वारा वाऊचर सं0 189 माह 2/2011 के अन्तर्गत कुल ₹3134/– का भुगतान महाविद्यालय के तीन विद्यार्थियों द्वारा दिनांक 4.10.2010 से 7.10.2010 के दौरान राजकीय कालेज सुजानपुर में यूथ फेस्टीवल में हिस्सा लेने के लिए किया गया। उपरोक्त भुगतान की गई राशि में विद्यार्थियों को 70 प्रतिशत की दर से ₹100/– प्रतिदिन की दर से दिनांक 8.10.2010 को ₹210/–का डी0ए0 का भुगतान किया गया जो देय नहीं था। अतः उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके छात्र निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए।

8 रेट कान्ट्रैक्ट के आधार पर सामान की खरीद से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

महाविद्यालय द्वारा लाईब्रेरी प्रयोग हेतु 3 नं0 स्टील अलमारी की खरीद हेतु मै0 एम0सन्ज स्टील फर्नीचर इन्डस्ट्रीज मण्डी को उनके बिल नं0 418 दिनांक 26.2.09 के एवज में ₹15350/–का भुगतान वाऊचर सं0 96 दिनांक 5.3.09 द्वारा मिश्रित निधि से किया गया। अंकेक्षण को चर्चा के दौरान बताया गया कि उपरोक्त खरीद रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर की गई थी परन्तु उक्त फर्म की रेट कान्ट्रेक्ट की प्रतिलिपि अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई, जिस कारण भुगतान की गई राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण के दौरान वान्छित अभिलेख प्रस्तुत किये जाये ताकि भुगतान की गई राशि की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

9 जलपान पर अनियमित व्यय करनाः–

हिमाचल पद्रेश विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश 1973 खण्ड–II के अध्याय 42 के नियम 42.2 (xiv) के अनुसार केवल खेलों हेतु जलपान पर व्यय करने का प्रावधान है परन्तु चयनित महीनों के भुगतान वाऊचरों की जांच में यह पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उपरोक्त नियम के विपरीत अन्य कार्यक्रमों के लिए भी जलपान पर व्यय किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वा0सं0/दिनांक	जिसे भुगतान किया गया	बिल सं0/दिनांक	राशि	विवरण	निधि
88/5.3.09	मै0 हिम स्टार स्वीटस धर्मपुर	शून्य 23.12.08	290	सी0एस0सी0ए0 का कार्यक्रम	मिश्रित
137/23.2.10	मै0 ठाकुर स्वीटस धर्मपुर	शून्य 28.1.10	610	–यथोपरि–	मिश्रित

अतः नियमों के विपरीत जलपान पर व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा उपरोक्त के अतिरिक्त इस तरह के समस्त प्रकरणों की संस्था स्तर पर छानबीन करने उपरान्त अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाये अथवा

अनियमित व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि मे ंजमा की जानी सुनिश्चित की जाए।

10 बिना कोटेशन के सामान की खरीद करने बारेः–

चयनित महीनों के भुगतान वाऊचरों की जांच में यह पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा वित्तीय नियमों के विपरीत मिश्रित निधि में निम्न विवरणानुसार सामान की खरीद बिना कोटेशन आमन्त्रित किए की गई।

वा0स0ं दिनांक	फर्म का नाम	बिल नं0 दिनांक	राशि	टिप्पणी
95 5.3.09	मै0 नरेन्द्र बुक डिपो, मण्डी	5451 24.2.09	3658	वार्षिक पारितोषिक वितरण समरोह में किताबों का वितरण।
219 25.6.11	–यथोपरि–	1345 से 1346 11.2.11	12397	पुस्तकालय के लिये किताबों की खरीद
		कुल योग	**₹16055**	

अतः नियमों की अवहेलना करके खरीद करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य में भी नियमों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाये।

11 शिक्षा निदेशालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के विपरीत ₹18737/– के खेलों के सामान को बही खाते में डालकर नष्ट करने बारेः–

शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय आदेश संख्या ई0डी0एन0एच(4) 3 (सी)–21/2002 दिनांक 31.10.2008 के अन्तर्गत दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार महाविद्यालयों में खेलों के सामान को बही खाते में डालने हेतु निरीक्षक आफिसर (Inspecting Officer) शिक्षा निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का होना आवश्यक है, परन्तु उक्त अनुदेशों के विपरीत महाविद्यालय द्वारा अपने स्तर पर कमेटी गठित करके ₹18737/– के खेलों के सामान को बही खाते में डालकर नष्ट कर दिया गया। इसके अतिरिक्त बही खाते में डाले गए सामान की नीलामी न करके बही खाते में डाले गए सामान को नष्ट कर दिया

गया। अतः वही खाते में डाले गये सामान को शिक्षा निदेशालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के निरीक्षण के बिना नष्ट करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इस अनियमितता को नियमित करवाने के लिए शिक्षा निदेशालय से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए।

12 अग्रिम रजिस्टर का रख–रखाव न करनाः–

वाऊचर संख्या 22 दिनांक 31.12.07 के अन्तर्गत श्री मोहिन्द्र सिंह (प्रवक्ता भूगोल) को मै0 हिमाचल खादी आश्रम सरकाघाट से पुस्तकालय प्रयोग हेतु अलमारी एवं टेबल खरीदने के लिये मिश्रित निधि से ₹10000/–अग्रिम के रूप में दी गई थी परन्तु अग्रिम राशि के रख–रखाव हेतु किसी भी प्रकार के अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया। अतः अग्रिम राशि के समायोजन की पुष्टि भी नहीं की गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि संस्था स्तर पर छानबीन करके महाविद्यालय दिये गये समस्त अग्रिमों को अग्रिम रजिस्टर में दर्ज किया जाये तथा तदानुसार उनके समायोजन की पुष्टि अंकेक्षण में करवाई जाए।

13 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः–

अभिलेख की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय में निधियों के स्टॉक मे पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना नहीं की गई है जबकि हि0प्र0 वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक मे पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना करवायी जानी अपेक्षित है। अतः नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापन करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से प्रत्यक्ष सत्यापन करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

14 **लधु आपति विवरणीः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

15 **निष्कर्षः–** लेखओं के रख–रखाव मे ंसुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)xi(xi)295 / 201 खण्ड–1 दिनांक, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें ।

2. प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002
3. निदेशक शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171001
4. श्री तारा चन्द महन्त, सहायक निर्देशक द्वारा..................

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.